भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 - 1152
उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2012

अन्य देशों के साथ संचार सुरक्षा संबंधी समझौता

1152. श्रीमती टी0 रत्नाबाई :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमेरिका और अन्य देशों के साथ संचार सुरक्षा संबंधी समझौता करना चाहती है;
(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इसके क्या-क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) और (ख) : सरकार ने अमेरिका अथवा अन्य देशों के साथ संचार सुरक्षा संबंधी समझौता नहीं किया है। तथापि, इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) अपनी प्रचालनात्मक तत्परता में वृद्धि करने के लिए समझौता-ज्ञापन के रूप में ऐसे ही कार्यकलाप करने वाले संगठनों के साथ अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता करती है। इस समय निम्नलिखित के साथ ऐसे समझौता-ज्ञापन किए गए हैं :-

(i) कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पांस टीम, अमेरिका
(ii) जापानी कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पांस टीम समन्वय केंद्र
(iii) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र (एनसीएससी), दक्षिण कोरिया
(iv) कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पांस टीम, मॉरीशस
(v) कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पांस टीम, कजाकिस्तान

उपर्युक्त के अलावा, फिनलैंड सरकार और भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) इस प्रकार के पक्षकारों के बीच सहयोग व्यवस्था के उद्देश्यों में साइबर सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :-

(i) भविष्य में होने वाली वार्ता के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना।
(ii) साइबर संबंधी खतरों पर सूचना का आदान-प्रदान करना तथा साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के संबंध में पारस्परिक प्रत्युत्तर देना।
(iii) साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग करना।
(iv) प्रचलित साइबर सुरक्षा नीतियों और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना।
(v) मानव संसाधन का आदान-प्रदान करना।

*****